ए.

निदेशक, प्रवर्तन निदेशक और ए. एन. आर. v.

के. सुधीश कुमार और ओआरएस। (2022 की सिविल अपील संख्या 442) 28 जनवरी, 2022

बी.

[एम**.** आर**.** शाह और संजीव खन्ना**,** जे**.** जे**.]**

सेवा कानून-एम. ए. सी. पी. योजना-Rs.6600-के ग्रेड वेतन का दावा-योजना के खंड 8.1 में प्रावधान है कि पी. बी.-2 में Rs.5400 और पी. बी.-3 में Rs.5400 के ग्रेड वेतन को एम. ए. सी. पी. योजना के तहत उन्नयन अनुदान के उद्देश्य से अलग ग्रेड वेतन के रूप में माना जाएगा-हालांकि, प्रत्यर्थीगणओं (पी. बी.-2 में) को उच्च न्यायालय द्वारा एम. ए. सी. पी. योजना के तहत पी. बी.-3 के लिए Rs.6600 का ग्रेड वेतन दिया गया था-उच्च न्यायालय ने कहा कि अगले पदोन्नति पद पर Rs.6600 का ग्रेड वेतन होता है, जब तीसरा वित्तीय उन्नयन एक कर्मचारी को देय होता है, तो यह भर्ती नियमों के अनुसार पदानुक्रम में अगले पदोन्नति पद का होना चाहिए-अपील पर आयोजितःएम. वी. मोहनन नायर के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विशेष रूप से देखा गया और अभिनिर्धारित किया गया कि एम. ए. सी. पी. का अगले पदोन्नति पद से कोई लेना-देना नहीं है और कर्मचारी जो हकदार होगा वह सी. सी. एस. (संशोधित वेतन) नियम, 2008 में दिए गए अनुशंसित संशोधित वेतन पट्टियों और श्रेणी वेतन के पदानुक्रम में तत्काल अगले उच्च श्रेणी वेतन होगा-एम. ए. सी. पी. योजना के खंड 8.1 के अनुसार पी. बी.-2 और पी. बी.-3 का श्रेणी वेतन Rs.5400 होगा-उच्च न्यायालय ने <आई. डी. 2 के श्रेणी वेतन की अनुमति देने में गंभीर त्रुटि की है, जो अगले पदोन्नति पद के लिए उपलब्ध श्रेणी वेतन है-इसलिए, निर्णय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया-प्रत्यर्थीगण अगले श्रेणी वेतन के हकदार हैं।

सी.

डी.

ई.

एफ.

अपील को अनुमति देते हुए, यह न्यायालय

पकड़नाः**1.** प्रारम्भ में यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि वर्तमान अपील में शामिल मुद्दा एम. वी. मोहनन नायर के मामले में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है।विस्तृत निर्णय और आदेश द्वारा इस न्यायालय ने एम. ए. सी. पी. योजना की ही व्याख्या की है और यह देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि एम. ए. सी. पी. योजना के तहत कर्मचारी तत्काल अगले ए. के हकदार हैं।

जी.

एच.

720

721

निदेशक, प्रवर्तन निदेशक और ए. एन. आर. v.के. सुधीश कुमार और ओआरएस।

सी. सी. एस. (संशोधित वेतन) नियम, **2008** की पहली अनुसूची की धारा **1,** भाग ए में दिए गए उच्च श्रेणी वेतन।इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में यह विशेष रूप से देखा गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एम. ए. सी. पी. का अगले पदोन्नति पद से कोई लेना-देना नहीं है और कर्मचारी को सी. सी. एस. (संशोधित वेतन) नियम, **2008** में दिए गए अनुशंसित संशोधित वेतन पट्टियों और श्रेणी वेतन के पदानुक्रम में तत्काल अगले उच्च श्रेणी वेतन का अधिकार होगा।एम. ए. सी. पी. योजना के खंड **8.1** के अनुसार 'परिणामस्वरूप छठे सी. पी. सी. की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर, पी. बी.**-2** और पी. बी.**-3** का ग्रेड वेतन **Rs.5400** होगा।यह विशेष रूप से प्रदान करता है कि पी. बी.**-2** में **Rs.5400** और पी. बी.**-3** में **Rs.5400** के ग्रेड वेतन को एम. ए. सी. पी. योजना के तहत उन्नयन के अनुदान के उद्देश्य से अलग ग्रेड वेतन के रूप में माना जाएगा।इसलिए, प्रत्यर्थी पी. बी.**-2** के रूप में **Nos.1** और **2** खंड **8.1** के अनुसार और सी. सी. एस. (संशोधित वेतन) नियम, **2008** की पहली अनुसूची की धारा **1,** भाग ए के अनुसार **Rs.5400** के अगले ग्रेड वेतन के हकदार होंगे।उच्च न्यायालय ने सहायक निदेशक यानी उप निदेशक के अगले पदोन्नति पद पर विचार करके **Rs.6600** के ग्रेड वेतन की अनुमति दी है, जिसमें **Rs.6600** का ग्रेड वेतन होता है।चाहे जो भी हो, उपरोक्त व्याख्या एम. ए. सी. पी. योजना के विपरीत होगी।एम. ए. सी. पी. योजना के प्रासंगिक खंडों पर विचार करने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि एम. ए. सी. पी. योजना सी. सी. एस. (संशोधित वेतन) नियम, **2008** की पहली अनुसूची की धारा **1,** भाग ए में दिए गए अनुशंसित संशोधित वेतन पट्टियों और श्रेणी वेतन के पदानुक्रम में तत्काल अगले उच्च श्रेणी वेतन में नियुक्ति की परिकल्पना करती है।इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने **Rs.6600** ग्रेड वेतन की अनुमति देने में एक गंभीर त्रुटि की है जो उप निदेशक के रूप में अगले पदोन्नति पद के लिए

उपलब्ध था।पी. बी.-2 के अनुसार प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 खंड 8.1 के अनुसार पी. बी.-3 के रूप में Rs.5400 के ग्रेड वेतन के हकदार थे।[पैरा 7] [726-सी-एच; 727-ए]

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

2. विवादित निर्णय और आदेश द्वारा और प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 को वस्तुतः Rs.6600 का ग्रेड वेतन देते समय, उच्च न्यायालय ने MACP योजना को संशोधित किया है जिसे सरकार द्वारा वेतन आयोग जैसे विशेषज्ञ निकाय की सिफारिशों और MACP योजना के लिए इसकी सिफारिशों पर तैयार किया गया है।जैसा कि एम. वी. के मामले में इस न्यायालय द्वारा अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है।

जी.

एच.

ए.

ए. सी. पी. मोहनन नायर, जिन्हें अब एम. ए. सी. पी. योजना द्वारा हटा दिया गया है, सरकारी नीति का विषय है और वेतन आयोग जैसे विशेषज्ञ निकाय की सिफारिशों और एम. ए. सी. पी. योजना के लिए इसकी सिफारिशों में हस्तक्षेप करने से सरकारी खजाने पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।यह भी देखा गया है कि एम. ए. सी. पी. योजना के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें लागू किया गया है।यह आगे देखा गया है कि इसलिए उच्च न्यायालय के पास एम. ए. सी. पी. योजना के रूप में सरकारी नीतियों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जो छठे केंद्रीय वेतन आयोग को स्वीकार करने के बाद थी।उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों और एम. वी. मोहनन नायर के मामले में इस न्यायालय के बाध्यकारी निर्णय को देखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 को Rs.6600 का ग्रेड वेतन देने वाला विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर है और इसे रद्द करने और अलग करने योग्य है।इसलिए, जब तक सी. सी. एस. (संशोधित वेतन) नियम, 2008 की पहली अनुसूची की धारा 1, भाग ए के अनुसार खंड 8.1 और ग्रेड वेतन का उल्लेख है, कर्मचारी तदनुसार ग्रेड वेतन का हकदार होगा।इसलिए, यदि कोई कर्मचारी खंड 8.1 से व्यथित है और यदि उसकी राय में कोई विसंगति है तो उसे व्यथित कर्मचारी द्वारा चुनौती दी जानी चाहिए, जिस पर कानून के

अनुसार और अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है।हालाँकि, चूंकि यह चुनौती के अधीन नहीं है, इसलिए इस न्यायालय को एम. ए. सी. पी. योजना के अनुसार चलना होगा।[पैरा **8] [727-**ए-जी]

बी.

सी.

डी.

ई.

भारत संघ और अन्य बनाम एम. वी. मोहनन नायर **(2020)**

5 एस. सी. सी. **421-**पर निर्भर।

राजस्थान राज्य बनाम महेश कुमार शर्मा **(2011)**

एफ.

4 एससीसी **257:[2011] 3** एस. सी. आर. **489-**संदर्भित।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

अन्र बनाम।अनीता गुप्ता और ए. एन. आर. 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 4720-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

जी.

(2020) 5 एस. सी. सी. **421**

उस पर भरोसा करें

पैरा **4**

[2011] 3 एससीआर **489**

संदर्भित किया गया है

पैरा **5.3** ए

एच.

723

निदेशक, प्रवर्तन निदेशक और ए. एन. आर. v.के. सुधीश कुमार और ओआरएस।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयःसिविल अपील सं. 442

2022.

ओ. पी. में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 23.10.2019 के निर्णय और आदेश से। (कैट)।2019 का No.171।

सुश्री माधवी गोराडिया दीवान, ए. एस. जी., अशोक पाणिग्रही, बी. के. सतीजा, जोहेब हुसैन, मनन पोपली, एम. के. मारोरिया, बी. कृष्ण प्रसाद, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

बी.

मथाई पैकाडे, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुनील रॉय, अमित सिंह, अलेक्जेंडर एम. पैकाडे, अधिवक्ता। प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सी.

एम. आर. शाह, जे.

1. 2019 के ओ. पी. (सी. ए. टी.) No.171 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 23.10.2019passed के विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त मूल याचिका (ओ. पी.) को अनुमति दी है और विद्वान केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, एर्नाकुलम पीठ द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया है और घोषणा की है कि प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 यहाँ-मूल याचिकाकर्ता संशोधित आश्वस्त कैरियर प्रगति (एम. ए. सी. पी.) योजना के अनुसार अपने तीसरे वित्तीय उन्नयन पर Rs.6600 के ग्रेड वेतन के हकदार हैं और उन्हें अप्रैल, 2015 से प्रभावी पेंशन का भुगतान किया जाता है, निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली और उच्च न्यायालय के समक्ष एक अन्य-मूल प्रत्यर्थीगणओं ने अप्रैल, 2015 से पेंशन का भुगतान करना पसंद किया है।2. कि निजी प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 को क्रमशः वर्ष 1976 और 1977 में सहायक प्रवर्तन अधिकारी (AEO) के रूप में नियुक्त किया गया था।वर्ष 2009 में, भारत सरकार-कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) ने केंद्र सरकार के नागरिक कर्मचारियों के लिए एम. ए. सी. पी. योजना को अधिसूचित किया।इस योजना में खंड 8.1 (जो वर्तमान मामले में प्रासंगिक है) के अनुसार प्रावधान किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप छठे सी. पी. सी. की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर, Rs.5400 का ग्रेड वेतन अब दो वेतन पट्टियों में है।, पीबी-2 और पीबी-3।इसने आगे प्रावधान किया कि पी. बी.-2 में Rs.5400 और पी. बी.-3 में Rs.5400 के ग्रेड वेतन को एम. ए. सी. पी. योजना के तहत उन्नयन के अनुदान के उद्देश्य से अलग ग्रेड वेतन के रूप में माना जाएगा।हालाँकि, ऐसा हुआ

कि दिनांकित 17.11.2009 आदेश के माध्यम से तीसरा वित्तीय उन्नयन प्रदान करते समय, इसमें निजी प्रत्यर्थीगणओं और अन्य लोगों को Rs.6600 का ग्रेड वेतन दिया गया था।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

724

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 2 एस सी आर।

ए.

एम. ए. सी. पी. योजना के तहत पी. बी.-3, हालांकि खंड 8.1 पी. बी.-3 के अनुसार Rs.5400 का ग्रेड वेतन था।हालांकि, लेखा परीक्षा विभाग द्वारा आपत्ति उठाए जाने पर पी. बी.-3 में Rs.6600 के उनके ग्रेड पे (जी. पी.) को खंड 8.1 के अनुसार Rs.5400 के जी. पी. के रूप में संशोधित/सही किया गया था।इसलिए, प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, एर्नाकुलम पीठ से संपर्क किया और Rs.6600 के जीपी को 17.11.2009 के पहले के आदेश के अनुसार जारी रखने और कोई वसूली नहीं करने का अनुरोध किया।मद्रास उच्च न्यायालय के एक निर्णय को लागू करने के लिए दबाव डाला गया, जिसके द्वारा पी. बी.-3 के लिए जी. पी. Rs.6600 को वापस लेने और जी. पी. Rs.5400 देने के समान आदेश को रद्द कर दिया गया।एम. ए. सी. पी. योजना के खंड 8.1 पर भरोसा करने पर, जिसके द्वारा छठे सी. पी. सी. की सिफारिशों का कार्यान्वयन, Rs.5400 का ग्रेड वेतन दो वेतन पट्टियों यानी पी. बी.-2 और पी. बी.-3 में था और एम. ए. सी. पी. योजना के तहत उन्नयन के अनुदान के लिए उन्हें अलग ग्रेड वेतन के रूप में माना जाएगा, विद्वान न्यायाधिकरण ने मूल आवेदन (ओ. ए.) को खारिज कर दिया।3. कथित ओ. ए. को खारिज करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 ने उच्च न्यायालय के समक्ष मूल याचिका को प्राथमिकता दी।विवादित निर्णय और आदेश द्वारा और एम. ए. सी. पी. योजना के खंड 8.1 को नजरअंदाज करते हुए उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया है कि सहायक निदेशक का अगला पदोन्नति पद जो पी. बी.-3 में है, उप निदेशक का होगा जिसमें Rs.6600 का ग्रेड वेतन होगा, जब तीसरा वित्तीय उन्नयन किसी कर्मचारी को देय है, तो यह भर्ती नियमों के अनुसार पदानुक्रम में अगले पदोन्नति पद

का होना चाहिए।उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए विभाग ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

बी.

सी.

डी.

ई.

4. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. सुश्री माधवी दीवान ने जोरदार ढंग से कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश अदालत के फैसले के बिल्कुल विपरीत है।

एफ.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय। बनाम अनीता गुप्ता और अन्र। 2016 एस. सी. सी

ऑनलाइन डेल 4720 के साथ-साथ इस मामले में इस न्यायालय के निर्णय के लिए

भारत संघ और अन्य बनाम। एम. वी. मोहनन नायर (2020) 5 एससीसी

जी.

421.

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि एम. ए. सी. पी. योजना की व्याख्या पर, इस न्यायालय द्वारा यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि कर्मचारी एम. ए. सी. पी. योजना के तहत प्रदान किए गए ग्रेड वेतन के हकदार हैं जो वेतन आयोग की सिफारिशों पर तैयार की गई है।यह प्रस्तुत किया जाता है ए

एच.

725

निदेशक, प्रवर्तन निदेशक और ए. एन. आर. v.के. सुधीश कुमार और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

कि एम. ए. सी. पी. योजना की व्याख्या करने पर, इस न्यायालय द्वारा यह विशेष रूप से देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि एम. ए. सी. पी. योजना सी. सी. एस. (संशोधित वेतन) नियम, 2008 की पहली अनुसूची की धारा 1, भाग ए में दिए गए अनुशंसित

संशोधित वेतन पट्टियों और श्रेणी वेतन के पदानुक्रम में तत्काल अगले उच्च श्रेणी वेतन में नियुक्ति की परिकल्पना करती है और इसका अगले पदोन्नति पद से कोई लेना-देना नहीं है।

बी.

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने Rs.6600 के ग्रेड वेतन की अनुमति दी है।हालांकि, खंड 8.1 के अनुसार, पी. बी.-2 और पी. बी.-3 में Rs.5400 का ग्रेड वेतन होता है और इसमें विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि पी. बी.-2 में Rs.5400 का ग्रेड वेतन और पी. बी.-3 में Rs.5400 का ग्रेड वेतन एम. ए. सी. पी. योजना के तहत उन्नयन के अनुदान के उद्देश्य से अलग ग्रेड वेतन के रूप में माना जाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए एम. ए. सी. पी. योजना के अनुसार प्रत्यर्थी Nos.1 और 2-मूल याचिकाकर्ता Rs.5400 के ग्रेड वेतन यानी पी. बी.-के लिए अगले ग्रेड वेतन के हकदार होंगे।3. यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह के विवादित निर्णय और आदेश द्वारा और Rs.6600 का ग्रेड वेतन देने के निर्देश से उच्च न्यायालय ने MACP योजना को संशोधित किया है और ऊपर की ओर तीन चरणों का लाभ दिया है।4.3 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपील की अनुमति देने का अनुरोध किया जाता है।

सी.

डी.

5. निजी प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मथाई पैकाडे ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है।

ई.

5.1 निजी प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि कर्मचारी अगले उच्च वेतन का हकदार होगा और अपीलार्थीगण की ओर से की गई प्रस्तुतियाँ कि PB-2 और PB-3 दोनों में Rs.5400 का ग्रेड वेतन स्वीकार किया जाता है, उस स्थिति में उच्च श्रेणी के वेतन का उद्देश्य विफल हो जाएगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब अगला उच्च श्रेणी का वेतन Rs.6600 होगा, तो उच्च न्यायालय ने Rs.6600 का ग्रेड वेतन देने का सही निर्देश दिया है।

एफ.

5.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह सच है कि उच्च न्यायालय ने अगली पदोन्नति पद शब्द का गलत उपयोग किया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रश्न अगले पदोन्नति पद का नहीं है, बल्कि प्रश्न अगले उच्च श्रेणी के वेतन का है।5.3 वैकल्पिक रूप से यह प्रत्यर्थी Nos.1 & 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया जाता है और निर्णय पर भरोसा किया जाता है।

जी.

राजस्थान राज्य बनाम महेश कुमार के मामले में इस न्यायालय के

शर्मा **(2011) 4** एस**.** सी**.** सी**. 257** कि यदि यह न्यायालय स्वीकार करने के लिए इच्छुक है

एच.

726

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 2 एस सी आर।

अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुतियाँ और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को दरकिनार करते हुए यह अभिनिर्धारित करते हुए कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 Rs.5400 के ग्रेड वेतन के हकदार होंगे, उस मामले में कोई वसूली का आदेश नहीं दिया जाएगा क्योंकि प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जहां तक पेंशन का संबंध है, अंतर लगभग प्रति माह Rs.1200 का होगा।

बी.

6. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

7. प्रारम्भ में यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि वर्तमान अपील में शामिल मुद्दा एम. वी. मोहनन नायर (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा पूरी तरह से शामिल है। विस्तृत निर्णय और आदेश द्वारा इस न्यायालय ने एम. ए. सी. पी. योजना की ही व्याख्या की है और यह देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि एम. ए. सी. पी. योजना के तहत कर्मचारी सी. सी. एस. (संशोधित वेतन) नियम, 2008 की पहली अनुसूची की धारा 1, भाग ए में दिए गए तत्काल अगले उच्च श्रेणी के वेतन के हकदार हैं।इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में यह विशेष रूप से देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि एम. ए. सी. पी. का अगले पदोन्नति पद से कोई लेना-देना नहीं है और सी. सी. एस. (संशोधित वेतन) नियम, 2008 में दिए गए अनुशंसित संशोधित वेतन पट्टियों और श्रेणी वेतन के पदानुक्रम में कर्मचारी तत्काल अगले उच्च श्रेणी वेतन का हकदार होगा।एम. ए. सी. पी. योजना के खंड 8.1 के अनुसार 'परिणामस्वरूप छठे सी. पी. सी. की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर, पी. बी.-2 और पी. बी.-3 का ग्रेड वेतन Rs.5400 होगा।यह विशेष रूप से प्रदान करता है कि पी. बी.-2 में Rs.5400 और पी. बी.-3 में Rs.5400 के ग्रेड वेतन को एम. ए. सी. पी. योजना के तहत उन्नयन के अनुदान के उद्देश्य से अलग ग्रेड वेतन के रूप में माना जाएगा। इसलिए, प्रत्यर्थी पी. बी.-2 के रूप में Nos.1 और 2 खंड 8.1 के अनुसार और सी. सी. एस. (संशोधित वेतन) नियम, 2008 की पहली अनुसूची की धारा 1, भाग ए के अनुसार

Rs.5400 के अगले ग्रेड वेतन के हकदार होंगे।उच्च न्यायालय ने सहायक निदेशक यानी उप निदेशक के अगले पदोन्नति पद पर विचार करके Rs.6600 के ग्रेड वेतन की अनुमति दी है, जिसमें Rs.6600 का ग्रेड वेतन होता है।हालांकि, उपरोक्त व्याख्या एम. ए. सी. पी. योजना के विपरीत होगी।एम. ए. सी. पी. योजना के प्रासंगिक खंडों पर विचार करने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि एम. ए. सी. पी. योजना सी. सी. एस. (संशोधित वेतन) नियम, 2008 की पहली अनुसूची की धारा 1, भाग ए में दिए गए अनुशंसित संशोधित वेतन पट्टियों और श्रेणी वेतन के पदानुक्रम में तत्काल अगले उच्च श्रेणी वेतन में नियुक्ति की परिकल्पना करती है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने Rs.6600 के ग्रेड वेतन की अनुमति देने में एक गंभीर त्रुटि की है-ग्रेड वेतन जो उप निदेशक के रूप में अगले पदोन्नति पद के लिए उपलब्ध था।प्रत्यर्थी ए

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

727

निदेशक, प्रवर्तन निदेशक और ए. एन. आर. v.के. सुधीश कुमार और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

पी. बी.-2 के अनुसार Nos.1 और 2 खंड 8.1 के अनुसार पी. बी.-3 के रूप में Rs.5400 के ग्रेड वेतन के हकदार थे।

8. विवादित निर्णय और आदेश द्वारा और प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 को वस्तुतः Rs.6600 का ग्रेड वेतन देते समय, उच्च न्यायालय ने MACP योजना को संशोधित किया है जिसे सरकार द्वारा वेतन आयोग जैसे विशेषज्ञ निकाय की सिफारिशों और MACP योजना के लिए इसकी सिफारिशों पर तैयार किया गया है।जैसा कि इस न्यायालय ने एम. वी. मोहनन नायर (उपरोक्त) के मामले में कहा और कहा कि ए. सी. पी., जिसे अब एम. ए. सी. पी. योजना द्वारा हटा दिया गया है, सरकारी नीति का विषय है और वेतन आयोग जैसे विशेषज्ञ निकाय की सिफारिशों और एम. ए. सी. पी. योजना के लिए इसकी सिफारिशों में हस्तक्षेप करने से सरकारी खजाने पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।यह भी देखा गया है कि एम. ए. सी. पी. योजना के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें लागू किया गया है।यह आगे देखा गया है कि इसलिए उच्च न्यायालय के पास एम. ए. सी. पी. योजना के रूप में सरकारी नीतियों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जो छठे

केंद्रीय वेतन आयोग को स्वीकार करने के बाद थी।उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों और एम. वी. मोहनन नायर (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के बाध्यकारी निर्णय को देखते हुए, जिसके साथ हम भी सहमत हैं, उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 को Rs.6600 का ग्रेड वेतन देने वाला विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर है और रद्द किए जाने और अलग किए जाने के योग्य है।

बी.

सी.

डी.

ई.

हालाँकि, हम देखते हैं कि हम जो विचार ले रहे हैं वह इस आधार पर है कि न तो एम. ए. सी. पी. योजना और न ही खंड 8.1 को चुनौती दी गई है और एम. वी. मोहनन नायर (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, एक कर्मचारी एम. ए. सी. पी. योजना के तहत प्रदान किए गए उच्च ग्रेड वेतन का हकदार है, विशेष रूप से, सी. सी. एस. (संशोधित वेतन) नियम, 2008 की पहली अनुसूची की धारा 1, भाग ए के अनुसार। इसलिए, जब तक सी. सी. एस. (संशोधित वेतन) नियम, 2008 की पहली अनुसूची की धारा 1, भाग ए के अनुसार खंड 8.1 और ग्रेड वेतन का उल्लेख है, कर्मचारी तदनुसार ग्रेड वेतन का हकदार होगा।इसलिए, यदि कोई कर्मचारी खंड 8.1 से व्यथित है और यदि उसकी राय में कोई विसंगति है तो उसे व्यथित कर्मचारी द्वारा चुनौती दी जानी चाहिए, जिस पर कानून के अनुसार और अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है।हालाँकि, चूंकि यह चुनौती के तहत नहीं है, इसलिए हमें एम. ए. सी. पी. योजना के अनुसार चलना होगा।

एफ.

जी.

9. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश इसके द्वारा दिया जाता है।

एच.

खारिज कर दिया गया और दरकिनार कर दिया गया और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय और आदेश को एतद्द्वारा बहाल कर दिया गया।यह देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि एम. ए. सी. पी. योजना के कार्यान्वयन पर प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 Rs.5400 के ग्रेड वेतन के हकदार होंगे, न कि Rs.6600 के जैसा कि उन्होंने दावा किया है।उनकी पेंशन को तदनुसार फिर से तय किया जाए।हालाँकि, यह देखा गया है कि प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और आज तक उन्होंने Rs.6600 के ग्रेड वेतन को देखते हुए पेंशन प्राप्त की है और सेवानिवृत्त व्यक्ति होने के नाते उनके लिए वेतन पेंशन में अंतर को वापस करना बहुत मुश्किल होगा, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में हम निर्देश देते हैं कि दिसंबर, 2021 से पहले की अवधि के लिए Rs.5400 के ग्रेड वेतन और Rs.6600 के ग्रेड वेतन के बीच पेंशन में अंतर की कोई वसूली नहीं होगी।हालाँकि, वर्तमान निर्णय और आदेश के अनुसार पेंशन के पुनर्निर्धारण पर, उनका ग्रेड वेतन Rs.5400 निर्धारित करने पर उन्हें जनवरी, 2022 से तदनुसार पेंशन का भुगतान किया जाएगा। हालाँकि, उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ वर्तमान अपील की अनुमति दी गई है।कोई लागत नहीं।

बी.

सी.

डी.

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)

ई.

एफ.

जी.

एच.